

Pring 4/1/18

सुपरवाइजर  
एल.टी.



सुपर  
ल.टी.  
धारा

उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा जारी की गयी  
नियमों के अन्तर्गत 2018 के लिए प्रत्येक  
मार्च मास के अन्त में प्रत्येक नियोक्ता को  
अपनी नियोक्ता के विषय में निम्नलिखित  
जानकारी देनी होगी।  
1. नियोक्ता का नाम  
2. नियोक्ता का पता  
3. नियोक्ता का पता  
4. नियोक्ता का पता  
5. नियोक्ता का पता  
6. नियोक्ता का पता  
7. नियोक्ता का पता  
8. नियोक्ता का पता  
9. नियोक्ता का पता  
10. नियोक्ता का पता

अध्यक्ष अधिकारी एवं  
सहायक अधिकारी  
साहय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजो)  
 पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. मारवा, B.A.S. राजस्थान लोक अदालत अभियान  
 प्रकरण संख्या 37/2018 "न्याय आपके द्वार-2018"  
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 जैष्ठ २ वैश्व १९८६  
 उनघाम

श्री. निवासी (विपक्षी)  
 - प्रार्थी / प्रार्थीगण  
 बनाम  
 श्री. निवासी (प्रार्थीगण)  
 - विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री. निवासी (प्रार्थीगण)  
 श्री. निवासी (विपक्षी)  
 निर्णय दिनांक 4/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1986 खसरा 0-382, 1987 खसरा 0-298

कुल किता 2 रकबा 1.1.7 हैक्टयर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार कार्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम 1986 खसरा 0-382 से 1987 खसरा 0-298 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा 1986 खसरा 0-382 में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 2 रकबा 1.1.7 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 200 रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ 200 रूपये पर प्राप्त करे। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। को सरे इजलास सुनाया गया।



निर्णय आज दिनांक 4/6/18

के. आर. मारवा  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 सहायक जज

प्रतीतिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि मुसलमान (जीबराहा) पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 सहायक जज  
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)